


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(41)/ग्राविवि/अनु.-5/जीकेएन/क्यू.सी./2015-16 जयपुर, दि. 20 अप्रैल 2016  
तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी  
पंजीकृत अभियंता/स्वयंसेवी संस्था,  
राजकीय/निजी तकनिकी महाविधालय,  
राजस्थान।  
राजकीय जिला तकनिकी पोलोटेकनिकल महाविधालय,  
राजस्थान।


**विषय :- बैठक स्थगित करने के सम्बंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में आवासीय योजना एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्य/ आवासों की तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण जाँच कराने के लिये विभागीय संमसख्यक पत्र दिनांक 5.11.2015 द्वारा पंजीकृत संस्थाओं, राजकीय/निजी तकनिकी पोलोटेकनिक महाविधालय के प्रतिनिधियों की दिनांक 21.04.2016 को उत्तर पश्चिम भवन, सचिवालय जयपुर के समिति कक्ष में प्रातः 11.00 बजे बैठक आयोजित की जानी थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

  
(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव शासन सचिव, ग्राविवि, जयपुर।
5. निजी सचिव आयुक्त महात्मा गाँधी नरेगा जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. अधीक्षण अभियंता (प्रो.) ईजीएस/एसएपी/अभि. ग्रामीण विकास विभाग।
8. तृतीय पक्ष निरीक्षण कर्ता/एजेन्सी पंजीकृत अभियंता स्वयंसेवी संस्था।
9. सहायक प्रोग्रामर ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)